न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर R 3236-II/12

भरोसा पाल पुत्र मठोला पाल, निवासी– ग्राम बकौरा तहसील नौगांव, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

— आवेदक

विरूद्ध

1– मन्नूलाल पुत्र सरजू पटेल, निवासी– ग्राम बकौरा तहसील नौगांव, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–छतरपुर

— अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अ–19(4)/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, ग्राम बकौरा में स्थित भूमि खसरा नं. 605 रकवा 2.448 हेक्टेयर में से रकवा 0.816 हेक्टेयर का पट्टा आवेदक के हित में नायब तहसीलदार महाराजपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–19(4)/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2002 द्वारा दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार किया गया था। यह पट्टा नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदक को जारी किया गया था।

2– यहकि, अनावेदक क्रमांक–1 इस प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार नहीं होते हुए भी उसके द्वारा अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय में नायब तहसीलदार महाराजपुर के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 64/अ–19(4)/2011–12 प्रस्तुत किया था, जो अपर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3236-दो/2012 जिला छतरपुर भरोसापाल विरूद्ध मन्नूलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक भरोसापाल की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 64/अ-19(4)/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-09-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

20.12.18

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य